निर्णय न्यायालय श्री जवाहरलाल जैन आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
359/2021	19.01.2021	20.07.2023

1. लतीफ पुत्र नजीरा जाति गद्दी मुसलमान निवासी
2. सारा पत्नि लतीफ महानन्दपुर डयोढा तहसील वजीरपुर।

—— वादिया

बनाम

लेण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार वजीरपुर।
1. वहीद पुत्र नजीरा जाति गद्दी मुसलमान निवासी
2. रसीद पुत्र नजीरा महानन्दपुर डयोढा तहसील वजीरपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण की और से।

निर्णय

वादिगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि भूमि खसरा नम्बर 100 रकवा 1.02 है0, 101 रकवा 1.20 है0 वाके ग्राम महानन्दपुर डयोढा..तहसील वजीरपुर की खातेदारी वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम हिस्सा 1/3—1/3 दर्ज रही जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से में से 0.43 है0 भूमि खसरा नं0 100 में से तथा 0.07 है0 भूमि खसरा नं0 101 मे से वादीया संख्या 2 को विक्रय कर दी तथा सम्पूर्ण भूमि का विभाजन पक्षकारान द्वारा रिकार्ड में कर लिया गया।जिसके अनुसार विभाजन के बाद वादीया संख्या 2 की खरीद की भूमि के नये खसरा नं0 838/100 रकवा 0.43 है0 व 826/101 रकवा 0.07 है0 बन गये तथा पृथक से खातेदारी वादीया संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई एवं खसरा नं0 100 का शेष रकवा 0.59है0 प्रतिवादी नं0 2 के नाम दर्ज हो गयी इसी प्रकार खसरा नं0 101 की शेष भूमि 1.13है0 में से खसरा नं0101 रकवा 0.04है0 प्रतिवादी नं0 3 के नाम दर्ज कर दी गयी। यह कि रेवन्यु रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण की व प्रतिवादी सं0 2 व 3 की भूमि का इन्द्राज सही रूप से किया गया परन्तु नक्शा ट्रेस में जो इन्द्राज किये गये वह गलत किये गये क्योंकि विभाजन के बाद कायम किये गये वह गलत किये गये क्योकि विभाजन के बाद कायम किये गये ख0न0 100,838/100,101,826/101 व 825/101 की रकवे अनुसार तरमीम की गयी है वह गलत की गयी है तथा जो तरमीम शुदा नक्शा कायम किया गया,उसमें वादीगण को रकवा कम दिया गया अर्थात वादीगण अपनी जमाबन्दी में दर्ज रकवे अनुसार मौके पर काबिज है परन्तु नक्शा ट्रेस में रकवा कम दर्ज होने के कारण मौके पर पक्षकारान में विवाद हो गया इस पर पक्षकारान के पटवारी हल्का से मौके पर चलकर भूमि का सीमाज्ञान करने को कहा तो पटवारी हल्कार ने कहा कि में मौखिक सीमाज्ञान नही करूगां तुम सीमाज्ञान की दरखवास्त तहसीलदार को दो तभी मौके पर सीमाज्ञान होगा। यह कि वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 838/100 रकवा 0.43 है0,101 रकवा 1.09 है0, 826/101 रकवा 0.07 है0 वाके ग्राम महानन्दपुर डयोढा तहसील वजीरपुर की जो तरमीम नक्शा ट्रेस में की गयी है वह गलत की गयी है तथा प्रतिवादी नं0 1 को आदेशित किया जावे कि वह मौके पर जाकर वादीगण के नक्शे की तरमीम जमाबन्दी में दर्ज रकवे अनुसार करके नक्शा

उपजिला कलेक्टर वजीरपुर, स.मा.

ट्रेस कायम करें इसी अनुसार दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस में किया जावे तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस में दर्ज सीमाओं का संशोधित किया जावें।

वादीगण ने अपने दावे के साथ दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2078–79 खाता संख्या 138, खाता संख्या 160 खाता संख्या 169 खाता संख्या 22 खाता संख्या 20 व हाल नक्शा ट्रेस पेश किये है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर कहां कि वादीगण द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें भूमि की रकबा बरारी कर नक्शे में तरमीम के लिये दावा किया है जिसमें प्रतिवादीगण जवाबदारान को कोई आपत्ती नही है भूमि की रकबा बरारी कर दावे का निर्णय पारित कर दिया जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश होने पर वकील वादीगण ने न्यायालय से निवेदन किया कि दोनों पक्ष भूमि की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार मौके पर भूमि व वर्तमान नक्शें में दर्ज भूमि की रकबा बरारी के आधार पर नक्शें में तरमीम की घोषणा की जावें।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण के दावें में चाहें गयें अनुतोष को देने में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमती जाहीर की है तथा कहां है कि भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नक्शें की रकबा बरारी की जाकर नक्शें में दुरूस्ती कर दी जावें। अर्थात प्रतिवादीगण व वादीगण दोनों राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्सों की नाप तोल नक्शा ट्रेस में सही रुप से कर नक्शें में दुरूस्ती हेतु सहमत है इसलिए दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस आशय का डिक्री घोषित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 838 / 100 रकबा 0.43 हे0 101 रकबा 1.09 हे0, 826 / 101 रकबा 0.07 हे0 ग्राम महानन्दपुर डयोढया तहसील वजीरपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल में दर्ज खसरा नम्बर के रकवे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीन की जावें इसी अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर सीमाओं का संशोधन किया जावें। पर्चा डिकी पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/07/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर, जिला–स.मा.